UPHM010020972022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हमीरपुर।

उपस्थित- प्रहलाद सिंह-II (एच०जे०एस०) आई०डी०सं०-UP6350

सत्र परीक्षण संख्या-479/2022

राज्य उ०प्र० **............अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1. सोबरन पुत्र बालकिशुन
2. प्रेमचन्द्र पुत्र सोबरन

निवासीगण ग्राम झलोखर, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर (उ०प्र०)।

...........अभियुक्तगण।

मु0 अ 0 सं0-125/2022
धारा-308, 323, 504, 506, 324, 452, 34 भा0 दं0 सं0
थाना-कुरारा, **जनपद**-हमीरपुर

एवं

UPHM010028672022

सत्र परीक्षण सं०-646/2022

राज्य उ०प्र० **............अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1. कल्लू उर्फ प्रताप सिंह पुत्र सोबरन
2. चरन सिंह उर्फ बुल्ला पुत्र सोबरन सिंह

निवासीगण ग्राम झलोखर, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर (उ०प्र०)।

...........अभियुक्तगण।

मु0 अ 0 सं0-125/2022
धारा-308, 323, 504, 506, 324, 452, 34 भा0 दं0 सं0
थाना-कुरारा, **जनपद**-हमीरपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर

Digitally signed by PRAHALAD SINGH
Date: 2025.07.04 16:09:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपस्थिति अधिवक्तागण

अभियोजन पक्ष – श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी, ए०डी०जी०सी० (क्रि०)

अभियुक्तगण/बचाव पक्ष – श्री महिपाल सिंह प्रजापति, एडवोकेट।

निर्णय

1. अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला के विरूद्ध धारा 308, 323, 504, 506, 324, 452,34 भा0 दं0 सं0 में थाना राठ कुरारा, हमीरपुर की पुलिस के द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल किये गये आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेकर मामले को सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरांत अभियुक्तगण का विचारण उक्त मामले में किया गया।

2. अलग–अलग आरोपो पत्रो के आधार पर संस्थित दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण समेकित करके किया गया। सत्र परीक्षण संख्या 479/2022 अग्रणी वाद रहा, जिसमें साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।

3. प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बृजलाल पुत्र दिबिया द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना कुरारा में प्रस्तुत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है कि दिनांक 29.04.2022 को समय करीब 9.30 बजे रात्रि पड़ोसी सोबरन जो झलोखर के ही हैं, इन्ही के दरवाजे के सामने से आम रास्ता आने जाने का है। उसका लड़का गुलाब सिंह अपने घर आ रहा था, तभी सोबरन व उनके लड़के प्रेमचन्द्र, कल्लू व अन्य शराब के नशे में जबरन उसके लड़के को रोककर एक जुट होकर गाली गलौज करने लगे तो उसका लड़का मना किया तो मारपीट कर दिये, जिससे हाथ में लिये लोहे का राड और डण्डा जिससे मारपीट कर दिये और जान से मारने की धमकी हमेशा देते रहते हैं। यदि प्रार्थना पत्र थाना पर जाओगे तो जान से मार देंगे। झगड़ा सुनकर उसकी पत्नी श्यामबाई बीच बचाव करने लगी तो उसे भी मारा। फूल सिंह भी मौके पर पहुँचे। आवाज सुनकर कि झगड़ा न करो तो उसे भी मारा। उन लोगों के मारने से उसके लड़के फूल सिंह, गुलाब सिंह व उसकी पत्नी श्यामबाई को काफी चोट लग गयी। उसकी पत्नी बेहोश हो गयी। अतः रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4. वादी मुकदमा बृजलाल की उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक 30.04.2022 को समय 00.33 बजे अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू एवं अज्ञात के विरुद्ध मु० अ० सं०–125/2022 अन्तर्गत धारा 308, 323, 504, 506 भा० द० सं०, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में मुकदमा (प्रदर्श क–6) पंजीकृत किया गया, जिसका विवरण नकल रपट (प्रदर्श क–7) में अंकित किया गया है।

5. पंजीकृत अपराध की पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान गवाहान के बयान लिए गये एवं घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किये गये। मामले की सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण

सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला के विरूद्ध धारा 308, 323, 324, 452, 504, 506, 34 भा0 दं0 सं0 के अपराध का पृथक-पृथक आरोप पत्र विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हमीरपुर के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का प्रसंज्ञान लिया गया और धारा 207 द० प्र० सं० का अनुपालन करने के उपरान्त मामले सत्र न्यायालय अन्तर्गत धारा 209 द०प्र०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु सुपुर्द किये गये। स्थानान्तरण के द्वारा सत्र परीक्षण इस न्यायालय को प्राप्त हुए।

6. तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला के विरूद्ध धारा 308/34, 323/34, 324/34, 452, 504, 506, भा0 दं0 सं0 में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में साक्षीगण पी० डब्लू०-1 बृजलाल (वादी मुकदमा) , पी० डब्लू०-2 गुलाब सिंह (मजरूब), पी० डब्लू०-3 फूल सिंह (मजरूब), पी० डब्लू०-4 साधना (मजरूब), पी० डब्लू०-5 श्यामबाई (मजरूब), पी० डब्लू०-6 डा० सैय्यद उमरे अली, पी०डब्लू०-7 कां० ओमकरन यादव एवं पी०डब्लू०-8 एस० आई० फूलचन्द्र मिश्र (विवेचक) को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न अभिलेखों को साबित कराया गया है-

क्र.सं	प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श/साक्षी	प्रपत्र
1.	प्रदर्श क-1/पी०डब्लू०-1	लिखित तहरीर
2.	प्रदर्श क-2/पी०डब्लू०-6	मेडिकल रिपोर्ट मजरूब फूल सिंह
3.	प्रदर्श क-3/पी०डब्लू०-6	मेडिकल रिपोर्ट मजरूब श्यामबाई
4.	प्रदर्श क-4/पी०डब्लू०-6	मेडिकल रिपोर्ट मजरूब गुलाब सिंह
5.	प्रदर्श क-5/पी०डब्लू०-6	मेडिकल रिपोर्ट मजरूब साधना
6.	प्रदर्श क-6/पी०डब्लू०-7	चिक एफ० आई० आर०
7.	प्रदर्श क-7/पी०डब्लू०-7	कायमी जी० डी०
8.	प्रदर्श क-8/पी०डब्लू०-8	घटना स्थल का नक्शा नजरी
9.	प्रदर्श क-9/पी०डब्लू०-8	गिरफ्तारी प्रपत्र
10.	प्रदर्श क-10/पी०डब्लू०-8	आरोप पत्र अभियुक्तगण सोबरन एवं प्रेमचन्द्र
11.	प्रदर्श क-11/पी०डब्लू०-8	आरोप पत्र अभियुक्तगण कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला

8. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से पूर्व अभियोजन साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पी० डब्लू०-1 बृजलाल (वादी मुकदमा) ने अपनी

मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.04.2022 समय करीब 9.30 बजे रात्रि की है। अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू, चरन सिंह उसके पड़ोस व गांव के निवासी हैं। उसके परिवार वाले अपने नये घर में मौजूद थे। उसके छोटा लड़का गुलाब सिंह अपने नये घर आ रहा था। तभी सोबरन व उनके लड़के प्रेमचन्द्र, कल्लू व चरन सिंह सभी शराब के नशे में थे, जबरन उसके लड़के गुलाब सिंह को रोककर एक जुट होकर गाली गलौज करने लगे, तो उसके लड़ने ने गाली देने से मना किया तो उक्त सभी एक राय होकर उसके घर के अंदर घुस गये। प्रेमचन्द्र अपने हाथ में लोहे की राड (सब्बल) लिये हुए, सोबरन अपने हाथ में डण्डा लिये हुए तथा कल्लू एवं चरन सिंह भी अपने हाथों में डण्डे लिये हुए थे। उक्त चारों लोग उसके लड़के गुलाब सिंह को मारने लगे। उसकी पत्नी श्यामबाई, फूल सिंह व बहू साधना बचाने लगी तो वे लोग अपने हाथों में लिये हुए लोहे की राड व लाठी डण्डों से मारने लगे, तो सभी लोग चिल्लाये। उसके परिवारी जन मारपीट में लहू लुहान हो गये थे। जब उसके दोनों लड़के व बहू एवं उसकी पत्नी पुराने घर नये घर से उनके पास आ रहे थे तो उपरोक्त चारों लोगों ने पुनः रास्ते में तिराहे के पास उक्त चारों अभियुक्तगण ने उसके चारों परिवार के लोगों को लाठी डण्डों व लोहे की राड से मार मार कर अधमरा कर दिया। मारपीट में आयी चोटों के कारण उसकी पत्नी श्यामबाई बेहोश होकर वहीं गिर गयी तथा उसके लड़के फूल सिंह का सिर फट गया एवं अन्य जगह शरीर में चोटें आई तथा गुलाब सिंह का मारपीट में हाथ फट गया था तथा उसकी बहू साधना को प्रेमचन्द्र ने अपने दांतों से काट लिया था। उक्त झगड़े का शोरगुल सुनकर वह भी अपने पुराने मकान से आ गया था। उसने ललकारा व मारपीट करने से मना किया, तब सभी लोग बुरी बुरी गाली गलौज करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए। फिर वह अपनी पत्नी श्यामबाई एवं फूल सिंह व गुलाब सिंह को लेकर थाने गया। वहाँ पर उसने कुरारा बस स्टैण्ड में किसी अनजान व्यक्ति से एक प्रार्थना पत्र लिखवाया, जो उसने बोला था वहीं उसने लिखा था। लिखने के बाद उसने बोलकर व पढ़कर उसे सुनाया था। फिर उसने प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे और उसके बाद उसी दिनांक 29.04.2022 को उसने प्रार्थना पत्र थाने में दिया था। पत्रावली में दाखिल कागज सं० -5क तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करके तहरीर को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है। उसके बाद पुलिस वालों के साथ उक्त सभी घायलों को लेकर सरकारी अस्पताल कुरारा ले गया था, जहाँ पर सभी चुटहिलों का इलाज चला था। फिर घायल फूल सिंह व गुलाब सिंह को सरकारी अस्पताल हमीरपुर के लिये रिफर किया गया तथा उसकी बहू साधना का दूसरे दिन सरकारी अस्पताल कुरारा में मारपीट से आई चोटों का मेडिकल परीक्षण हुआ था। उक्त घटना के संबंध में दरोगा ने उसका बयान लिया था।

9. पी० डब्लू०-2 गुलाब सिंह (मजरूब) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.04.2022 समय करीब रात्रि 9.30 बजे की है। मुल्जिम प्रेमचन्द्र, सोबरन, कल्ली, चरन उर्फ भुल्ला उसके गांव व पड़ोस के हैं। वह मजदूरी करके हमीरपुर से अपने घर वापस आया था। जैसे ही घर के अन्दर घुस रहा था तो सोबरन

सिंह, प्रेमचन्द्र, कल्लू, चरन उर्फ भुल्ला उसे देखकर गाली गलौज करने लगे। उसने मना किया तो प्रेमचन्द्र ने उसके हाथ में लोहे की राड मार दी। फिर वह घर के अंदर घुस गया। फिर चारों लोग घर के अंदर घुसकर उसके भाई, उसकी माता एवं उसकी भाभी साधना को लाठी, डण्डों एवं लोहे की राड से उसे व सभी लोगों को मारा था। वह अपने घर से निकल कर दूसरे वाले घर में पिता जी के पास जा रहा था कि रास्ते में तिराहे के पास उसे घेर कर सोबरन, प्रेमचन्द्र व कल्लू ने लाठी डण्डों से मारा पीटा, जिससे उसकी माता का सिर फट गया था और उसके भाई फूल सिंह का भी सिर फट गया था तथा उसकी माँ श्यामबाई लहू लुहान होकर बेहोश हो गयी तथा उसकी भाभी साधना को प्रेमचन्द्र ने दांत से काट लिया था तथा लाठी डण्डों से मारा था। उनका शोरगुल सुनकर पिता मौके पर आ गये थे। सभी मुल्जिमान जान से मारने की धमकी तथा गाली गलौज करते हुए भाग गये थे। उसके पिता उसे, उसकी माँ एवं भाभी व माता को लेकर थाना कुरारा गये थे। थाने में दरोगा ने पुलिस वालों के साथ उन्हें सरकारी अस्पताल कुरारा भेज दिया थे। सरकारी अस्पताल कुरारा में उन सभी लोगों का इलाज हुआ ता। दूसरे दिन दिनांक 30.04.2022 को उसे व फूल सिंह को सरकारी अस्पताल हमीरपुर में एक्सरे के लिये भेजा गया था। दरोगा ने उसका बयान लिया था तथा उसकी निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया था।

10. पी० डब्लू०–3 फूल सिंह (मजरूब) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.04.2022 को वह अपने दूसरे वाले घर में था, तो उसके गांव के प्रेमचन्द्र, कल्लू, सोबरन, चरन सिंह उर्फ भुल्ला उसके भाई गुलाब को गाली गलौज कर रहे थे। उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो ये सभी उपरोक्त मुल्जिमान उसके भाई को घर में घुसकर मारने पीटने लगे। वह अपने दूसरे वाले घर में था, तभी उसे मोहल्ले के गुरूचरन ने आकर बताया कि तुम्हारे भाई को सोबरन सिंह, प्रेमचन्द्र, कल्लू व चरन उर्फ भुल्ला घर में घुसकर मार रहे हैं। तब वह अपने भाई को बचाने के लिये दूसरे वाले घर से चला तो रास्ते में उसे उपरोक्त सभी लोगों ने घेर लिया और मारने पीटने लगे। तभी शोर सुनकर उसकी माता, उसकी पत्नी साधना व उसका भाई गुलाब मौके पर आ गये। उपरोक्त सभी लोग लाठी डण्डा व सरिया से उसे व उसकी माँ, पत्नी साधना व भाई गुलाब को मारने पीटने लगे। सोबरन डण्डा लिये था, प्रेमचन्द्र लोहे का राड व कल्लू डण्डा लिये, चरन सिंह उर्फ भुल्ला डण्डा लिये था। प्रेमचन्द्र ने उसकी माँ के सिर पर लोहे की राड से मारा था, जिससे उसकी माँ का सिर फट गया था तथा वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी और उसका भी सिर फट गया था। उसके भाई गुलाब का दाहिना हाथ टूट गया था। उसकी पत्नी साधना को प्रेमचन्द्र ने दाहिनी भुजा में दांत से काट लिया था। घटना के समय उसके पिता जी भी जो रास्ते में तिराहा है, वहाँ पर आ गये थे। उसके पिता जी ने जब ललकारा तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी व गाली गलौज करते हुए भाग गये थे। यह घटना उसके दोनों घरों के बीच रास्ते में तिराहे की है। घटना के पश्चात् उनको मोहल्ले की ओमनी गाड़ी से थाना कुरारा ले गये। थाने से जाने से पहले कुरारा बस स्टैण्ड में पिता जी ने किसी अज्ञात व्यक्ति से तहरीर लिखवाई थी,

फिर थाने जाकर पिता जी ने यह तहरीर थाने में दी थी। थाने से वे सभी चुटहिलों को दो पुलिस वाले लेकर सी.एच.सी. कुरारा ले गये थे। कुरारा अस्पताल में वे रातभर रहे थे। सुबह उसे व उसकी माँ व भाई गुलाब को जिला अस्पताल हमीरपुर में रिफर किया गया था। उसके भाई गुलाब का एक्सरा भी हुआ था। सरकारी अस्पताल हमीरपुर में दिन भर इलाज हुआ था। शाम को वे घर वापस आ गये। घटना के संबंध में उसका बयान दरोगा ने लिया था।

11. पी० डब्लू०–4 साधना (मजरूब) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू व चरन सिंह उसके गांव के रहने वाले हैं। घटना दिनांक 29.04.2022 की समय साढ़े नौ बजे रात की है। ये सभी लोग उनके दरवाजे पर गाली गलौज कर रहे थे। उसका देवर गुलाब सिंह ने मना किया कि यहाँ गाली गलौज मत करो तो ये सभी मुल्जिमान उसके देवर को मारने पीटने लगे। बचने हेतु उसका देवर घर के अन्दर की ओर भागा। सभी मुल्जिमान घर के अन्दर घुस आये। अन्दर वह व उसकी सास व पति थे। उन्होंने बचाया तो सभी मुल्जिमान बाहर भाग गये। जब सभी मुल्जिमान घर से बाहर भाग गये, मुल्जिमान के भगने के बाद वह, उसकी सास, उसका पति व देवर गुलाब सभी लोग दूसरे घर जा रहे थे। दूसरे घर में पापा (ससुर) थे। वहाँ उनको बताने जा रहे थे कि मारपीट हुई। इन लोगों ने तिराहे में उन सभी को घेरकर फिर से मारा। प्रेमचन्द्र लोहे की राड लिये था, शेष लोग लाठी डण्डा लिये थे। मुल्जिमान प्रेमचन्द्र ने पति को लोहे की राड से मारा था जिससे उसके पति की खोपड़ी फट गयी थी। फिर मम्मी को भी प्रेमचन्द्र ने ही मारा था, जिससे उनकी खोपड़ी फट गयी थी और उनकी हालत ज्यादा खराब हो गयी थी। उसके बाद उसके बचाने पर प्रेमचन्द्र ने उसे दाहिने हाथ की भुजा पर काट लिया था। उसके गर्दन व कमर में चोटे आई थीं। सभी लोगों के चोटे आई थीं। देवर का हाथ टूट गया था। सभी लोगों ने मारा था। उनके अलावा बचाने अन्य कोई नहीं आया था। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये थे। फिर उसके पापा ब्रजलाल, श्यामबाई, फूल सिंह व गुलाब सिंह को थाना कुरारा दूसरे की गाड़ी में ले गये थे। घर में कोई नहीं था, इसलिये वह कुरारा थाने नहीं गयी थी। पुलिस वाले थाने से सरकारी अस्पताल कुरारा ले गये थे। कुरारा अस्पताल से श्यामबाई, गुलाब सिंह व उसके पति फूल सिंह सरकारी अस्पताल हमीरपुर आये थे। इनका इलाज काफी दिन चला। उसका इलाज दूसरे दिन सरकारी अस्पताल कुरारा में हुआ था। दूसरे दिन दरोगा जी ने शाम टाइम उसका बयान लिया था।

12. पी० डब्लू०–5 श्रीमती श्यामबाई (मजरूब) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिम सोबरन, कल्लू, चरन सिंह, प्रेमचन्द्र उसके गांव के रहने वाले हैं। घटना लगभग 10–11 महीने पहले की है। घटना करीब 9.30 बजे रात की है। उसका लड़का गुलाब सिंह मजदूरी करके वापस घर आया था, तभी दरवाजे पर आकर प्रेमचन्द्र, चरन सिंह, सोबरन, कल्लू गाली गलौज कर रहे थे, तो गुलाब सिंह ने मना किया तो सभी मुल्जिमान गुलाब सिंह को मारने के लिये दौड़े तो गुलाब सिंह दौड़कर घर

के अन्दर घुस गया। तब सभी मुल्जिमान भी घर के अन्दर घुसकर उसके लड़के गुलाब सिंह को लोहे की राड व डण्डों से मारने लगे। वह व उसकी बहू साधना व उसका लड़का फूल सिंह घर के अन्दर थे। सभी लोग बचाने को दौड़े तो सभी मुल्जिमान भाग गये। फिर वे सभी लोग दूसरे घर जहाँ उसके पति रहते हैं, जा रहे थे, फिर ये सभी मुल्जिमान तिराहे में घेरकर लाठी डण्डों व राड से उन सभी लोगों को मारने पीटने लगे। प्रेमचन्द्र ने उसके सिर में लोहे की राड मारी थी। राड लगने से वह बेहोश हो गयी। उसे नहीं पता चला कि उसे अस्पताल कब और कौन ले गया। दूसरे दिन सुबह उसे सरकारी अस्पताल कुरारा में होश आया था। उसे होश आने पर खून की उल्टियाँ आ रही थीं, जिससे वह स्वयं हमीरपुर अस्पताल इलाज कराने गयी थी। एक हफ्ते तक उसका इलाज चलता रहा, तब उसकी उल्टी ठीक हुई थी। घटना के संबंध में दरोगा ने उसका बयान लिया था।

13. पी० डब्लू०-6 डा० सैय्यद उमरे अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.04.2022 को वह सी.एच.सी. कुरारा अस्पताल में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। इसी दिनांक कां० अनूप कुमार चुटहिल फूल सिंह, चुटहिल श्यामबाई एवं चुटहिल गुलाब सिंह तीनों लोगों की मजरूबी चिट्ठी लेकर सी.एच.सी. कुरारा में लेकर आया था। दिनांक 30.04.2022 समय 9.45AM पर चुटहिल फूल सिंह पुत्र बृजलाल उम्र 22 वर्ष निवासी झलोखर की चोटों का उसने मुआयना किया था। चोटो का विवरण इस प्रकार बताया है कि-

चोट न०-1 Lacerated wound जिसका साइज 6x1.2 cm जो Left Parietal सिर के बांये तरफ कान के ऊपर जिसकी सेफ और मार्जन Erregular थी। रक्तस्राव रूका हुआ था और जमा हुआ खून (Clotted blood) चोट के पास पाया गया।

चोट न०-2 Contusion size 9x3 cm जो बांये scapula के पीछे जिसकी सेफ ओर मार्जन Eragular थी और जिसका Radish color था।

चोट न०-3 Contusion size 8x2 cm जो बांये middle arm region जिसकी सेफ और मार्जन Eragular थी और जिसका Radish colan था।

चोट न०-4 Contusion size 4x1.5 cm जो बांये तरफ Lower leg 17 cm Bellow और बांये knee joint Anteriorly (आगे की तरफ) जिसकी सेफ और मार्जन Radish colour था।

उक्त चोटें सख्त कुन्दाल से आना सम्भव है तथा सभी चोटें लगभग एक दिन पूर्व की होना सम्भव है। चुटहिल फूल सिंह की चोट न० -1 को एक्सरे और रेडियोलाजिस्ट ओपीनियन के लिये जिला अस्पताल हमीरपुर को भेजा गया था। चुटहिल फूल सिंह ने निशानी अंगूठा उसके सामने लगाया था। पत्रावली में दाखिल कागज सं०-9क/5 लगायत 9क/8 मेडिकल रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी साक्षी ने पुष्टि की है तथा उसे **प्रदर्श क-2** के रूप में साबित किया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर

इसके बाद उसने चुटहिल श्यामबाई पत्नी बृजलाल उम्र 50 वर्ष निवासी झलोखर की चोटों का मुआयना समय 10.35 AM पर किया था, जिसकी चोटें निम्नवत हैं।

चोट न०–1 Lacerated Wound Size 4x0.7x1.2 cm जो सीधी तरफ fr–onto parietal region on skull जिसकी सेफ और मार्जन Erragular थी। (यह चोट सीधी तरफ मत्थे और सिर के ऊपर थी) जिसमें Bleeding पायी गयी।

चोट न०–2 चुटहिल श्यामबाई ने दोनों तरफ कंधों में दर्द बताया था।

चोट सामान्य थीं तथा लगभग एक दिन पूर्व की होना प्रतीत हो रही थीं। उक्त चोट सख्त कुन्दाल से आना सम्भव है। मेडिकल रिपोर्ट में चुटहिल श्यामबाई ने अंगूठा लगाया था। पत्रावली में दाखिल कागज सं० –9क/13 लगायत 9क/16 मेडिकल रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी साक्षी ने पुष्टि की है तथा उसे **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है।

इसी क्रम में उसने समय 11.00AM पर चुटहिल गुलाब सिंह पुत्र बृजलाल उम्र 20 वर्ष निवासी झलोखर की चोटों का मुआयना किया, जो निम्नवत हैं–

चोट न०–1 Contusion size 18x3 cm जो सीधे scapula region के नीचे से बांये scapula region की तरफ जिसकी सेफ व मार्जन Erragular थी और Redish Colour था।

चोट न०–2 Contused Swelling with tenderness size 8x4 cm जो पीछे बांये हाथ की कोहनी के पीछे साइड थी, जिसकी सेफ व मार्जन Erragular थी और Redish Colour था।

चोट न०–3 Contusion size 5x3 cm जो उल्टे पैर के घुटने के पीछे थी, जिसकी सेफ व मार्जन Eragular थी और Redish Colour था।

चोट न०–2 को एक्सरे और रेडियोलाजिस्ट ओपीनियन के लिये जिला अस्पताल भेजा गया था तथा उक्त चोटें एक दिन पूर्व की थीं, जो सख्त कुन्दाल से आना सम्भव है। चुटहिल गुलाब सिहं ने मेडिकल रिपोर्ट पर अंगूठा लगाया था। पत्रावली में दाखिल कागज सं० –9क/9 लगायत 9क/12 मेडिकल रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी साक्षी ने पुष्टि की है तथा उसे **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।

दिनांक 01.05.2022 समय 11.26AM पर सी.एच.सी. कुरारा में चुटहिल श्रीमती साधना पत्नी फूल सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी झलोखर को महिला कां० रोशनी शर्मा के द्वारा अस्पताल में लायी गयी थी। जिसकी चोटों का मुआयना उसने किया था। चोटें निम्नवत हैं–

चोट न०–1 Abrasion size 1x0.5 cm जो गर्दन की सीधी तरफ थी। जिसकी सेफ व मार्जन Erragular थी और Redish Colour था।

चोट न०-2 Abrasion size 0.5x0.5 cm जो सीधे हाथ के बांयी Bite P mass के ऊपर है, जिसकी सेफ व मार्जन Erragular थी, जो गहरी और लाल रंग की थी। जहाँ दाँतों के निशान मौजूद थे।

चोट न०-3 Contusion size 6x5 cm जो सीधे हाथ के बांयी Bite P mass के ऊपर है, जिसकी सेव और मार्जन Erragular थी, जो गहरी नीले रंग की थी।

चोट न०-4 Multipul Contusion size 7x5 cm Right siden on size 6x4 cm left side जो दोनों तरफ के Butak Region पर थी। जिसकी सेफ व मार्जन Erragular थी तता गहरा नीला रंग था।

उक्त सभी चोटें लगभग दो दिन पूर्व की आना सम्भव होती हैं जो सख्त कुन्दाल से आना सम्भव है। चोटे साधारण प्रकृति की थी। पत्रावली में दाखिल कागज सं०-9क में चुटहिल साधना ने उसके सामने अंगूठा लगाया था, जिसके चोटें वार्ड आया ऊषा देवी के सामने दर्ज की गयी थी। पत्रावली में दर्ज कागज सं०-9क/1 लगायत 9क/4 मेडिकल रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करके **प्रदर्श क-5** के रूप में साबित किया है। दरोगा ने उसके बयान लिये थे।

14. पी० डब्लू०-7 कां० ओमकरन यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 30.04.2022 को थाना कुरारा में कां० के पद पर तैनात था। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह के आदेशानुसार वादी बृजलाल पुत्र दिबिया निवासी झलोखर की तहरीर के आधार पर वादी बृजलाल के साथ आये मजरूब पत्नी श्यामबाई व पुत्रगण फूल सिंह व गुलाब सिंह चुटहिल अवस्था में थाना कुरारा आये थे। वादी बृजलाल द्वारा दी गयी तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती स्वयं के अपनी पत्नी व दोनों पुत्रों के साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी तथा लोहे की राड मारने के संबंध में दी गयी थी। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मजरूबगण श्यामबाई, फूल सिंह व गुलाब सिंह के मेडिकल उपचार हेतु पूर्व में ही सी.एच.सी. कुरारा रवाना किया गया था तथा वादी के एफ. आई. आर. की पर्तदोयम लेकर मजरूबगण के साथ थाना हाजा से रुखसत किया गया था। उक्त एफ. आई. आर. न०-125/2022 समय 00.33 दिनांक 30.04.2022 को ही उसने कम्प्यूटर में बोल बोल कर टाइप करवायी थी। पत्रावली में दाखिल कागज सं०-4क/1 लगायत 4क/3 मूल तहरीर है, जिस पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर बने हुए हैं, जिनकी उसने पुष्टि की है तथा उसे प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया है। उक्त तहरीर का खुलासा उसने जी० डी० न०-4 दिनांकित 30.04.2022 समय 00.33 बजे उसके द्वारा कम्प्यूटर में दर्ज करवायी थी, जिनमें अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू व अन्य व्यक्ति अज्ञात निवासी ग्राम झलोखर का है। तहरीर के आधार पर कायमी में अंकित कराया था। पत्रावली में दाखिल कागज सं०-7क को साक्षी ने बोल बोल कर कम्प्यूटर से टाइप कराने की पुष्टि की है तथा उसे प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर

15. पी० डब्लू०-8 एस० आई० फूलचन्द्र मिश्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.04.2022 को वह थाना कुरारा में बतौर एस० आई० के पद पर तैनात था। उसको उक्त् मामले की विवेचना प्राप्त हुई थी। जिसमें सूचना कायमी वादी बृजलाल बनाम सोबरन आदि दर्ज कर नकल चिक, नकल रपट व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन कर दर्ज किया था। इसके बाद एफ. आई. आर. लेखक ओमकरन यादव के बयान अंकित किये थे। इसके बाद वादी मुकदमा बृजलाल के गांव झलोखर पहुँचकर बयान वादी बृजलाल, बयान मजरूब फूल सिंह, मजरूबा साधना का बयान लिया था। श्यामबाई जो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। बार बार उल्टी कर रही थी। कोफी चोटें लगने से अस्वस्थ थी। उसके बयान नहीं लिये जा सके। मजरूब गुलाब सिंह की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मजरूब फूल सिंह के मेडिकल रिपोर्ट व मजरीब गुलाब सिंह, मजरूब श्यामबाई की मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 30.04.2022 का अवलोकन किया। इनका मेडिकल डा० सैय्यद उमरे अली द्वारा किया गया। चश्मदीद साक्षी गुरूचरन, श्रीचन्द्र निवासी झलोखर के बयान अंकित किये। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी ने अभियुक्त सोबरन व प्रेमचन्द्र को घेरकर समय सुबह 5.30 बजे पकड़ा था। दोनों अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर हवालात के पास बैठकर उनका बयान अंकित किया था। मजरूबा श्रीमती श्यामबाई के बयान लेने हेतु उसके घर पहुँचे तो घर पर मौजूद नहीं थी। मालूम हुआ कि जिला चिकित्सालय हमीरपुर दवा लेने गयी है। चुटहिल श्यामबाई के बयान अंकित किये गये। चिकित्सक डा० सैय्यद उमरे अली का बयान अंकित किया था। अभियुक्त कल्लू एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला की तलाश व दबिश दी गयी तथा उनकी गिरफ्तारी किये जाने हेतु गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत कराये जाने की रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी। मजरूब गुलाब सिंह की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। शेष अभियुक्तगण का वारण्ट जारी करने हेतु न्यायालय का आदेश प्राप्त किया। डा० सैय्यद उमरे अली का पुनः बयान अंकित किया गया। अभियुक्त सोबरन व प्रेमचन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-135/2022 अन्तर्गत धारा 308, 323, 324, 504, 506, 452, 34 भा०द०सं० न्यायालय प्रेषित किया गया। शेष भागे हुए अभियुक्त कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला की विवेचना प्रचलित रही। पत्रावली में दाखिल कागज सं०-8 क नक्शा नजरी को साक्षी ने मजरूब गुलाब सिंह की निशांदेही में मौके पर जाकर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करने की पुष्टि करके प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया है। कागज सं०-11 क गिरफ्तारी प्रपत्र को साक्षी ने मौके पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करने की पुष्टि करके प्रदर्श क-9 के रूप में साबित किया है। आरोप पत्र अभियुक्तगण सोबरन व प्रेमचन्द्र को इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की है तथा उसे प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी द्वारा आरोप पत्र अभियुक्तगण कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला को अपने हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की है तथा उसे प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया है।

16. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 द० प्र० सं० अंकित की गयी, जिसमें अभियुक्तगण ने

अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा अभियोजन साक्षियों के द्वारा झूंठा बयान दिये जाने का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि वादी के प्रभाव में आकर गलत विवेचना करके गलत तरीके से प्रपत्र साबित किये गये हैं। वह निर्दोष हैं, पुरानी रंजिश की वजह से झूंठी घटना बनाकर झूंठा फंसाया गया है।

17. अभियोजन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत की गया है कि प्रस्तुत मामले में वादी पी०डब्लू० -1 के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। तहरीर में अभियुक्तगण को नामजद किया गया है। वादी पी०डब्लू०-1 के साक्ष्य में भी तहरीर के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। उक्त मामले में साक्षी पी०डब्लू०-2 ता 5 आहत साक्षी हैं। इनके द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ मारपीट करने की पुष्टि की गयी है। आहत साक्षियों के मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटें आने का उल्लेख है, जिसको डाक्टर पी०डब्लू०-6 के द्वारा साबित किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों को भी साक्षीगण के द्वारा साबित किया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में जो अन्तर है, वह मामूली हैं। रंजिश के कारण अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र, पत्नी व पुत्र वधु के साथ मारपीट करके चोटें कारित की गयी है। वादी की पत्नी तथा उसका पुत्र फूल सिंह की चोटें गंभीर प्रकृति की हैं, जिससे उनका जीवन समाप्त हो सकता था। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित होते है इसलिये अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करते हुए सजा से दण्डित किया जाये।

18. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी के द्वारा रंजिश के कारण उनके विरुद्ध झूंठी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर मुकदमा लिखाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब है। आहत साक्षी का मेडिकल परीक्षण भी एक दिन बाद में हुआ है। आहत साक्षीगण की चोटें सभी साधारण प्रकृति की है, जो कि आसानी से बनायी जा सकती है। वादी की पत्नी, पुत्रगण व पुत्र वधु के जो चोटें आना बताया गया है वह मोटरसाइकिल से गिरने के कारण आई हैं। पी०डब्लू० -1 घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। तहरीर में एक ही घटना होना प्रदर्शित किया गया है, जबकि न्यायालय में अंकित किये गये साक्ष्य में एक घटना घर के अंदर की होना बतायी गयी है तथा दूसरी घटना तिराहे की होना बतायी गयी है। कथित घटना क्रम के संबंध में साक्षीगण के द्वारा दी गयी साक्ष्य में भी अन्तर है। पी०डब्लू० -3 फूल सिंह के द्वारा घटना के समय अपने दूसरे मकान में होने तथा उसके साथ मारपीट होने पर पी०डब्लू०-2 के मौके पर आने का साक्ष्य दिया गया है, जबकि अन्य साक्षीगण के द्वारा पी०डब्लू०-3 के भी घटना के समय पहले वाले घर में होने तथा उसके साथ में मारपीट होने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी की पुत्र वधु साधना के कोई चोट आने का उल्लेथ तहरीर में नहीं है, जबकि उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त चरन सिंह का नाम तहरीर में नहीं है, उसको भी साक्ष्य के दौरान अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से दर्ज कराने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पी०डब्लू०-2 के कोई खुली चोट होना नहीं पायी गयी है, जबकि साक्षीगण के द्वारा

उसके खुली चोट आना बताया गया है। अभियुक्त चरन सिंह की ओर से वादी के परिवार के विरुद्ध एस.सी.एस.टी. का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी रंजिश में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा परस्पर विरोधाभाषी साक्ष्य देने के कारण अभियोजन मामला विश्वास किये जाने योग्य नहीं है इसलिये अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

19. विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

20. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुख्य आरोप वादी के पुत्रगण, पत्नी व पुत्र वधु के साथ घर में मारपीट करने तथा उसके बाद वादी के पास दूसरे घर में जाने पर तिराहे पर मारपीट करके चोटें कारित करने का अभियोग है। अभियुक्तगण के द्वारा उक्त घटना को मिथ्या बताया गया है तथा घटना क्रम के संबंध में अभियोजन साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य में कोई समानता न होने का भी आधार लिया गया है। अभियोजन की ओर से उक्त घटना में आहत साक्षी पी०डब्लू०-2 व पी०डब्लू०-5 की मेडिकल रिपोर्ट को पी०डब्लू०-6 द्वारा साबित कराया गया है। साक्षीगण पी०डब्लू०-2 ता 5 के द्वारा अपने साक्ष्य में उक्त कथित घटना में चोटें आने के समर्थन में साक्ष्य दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्तगण के द्वारा उक्त घटना कारित की गयी है तथा उसमें अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 ता 5 के चोटें कारित की गयी हैं।

21. इस संबंध में सर्वप्रथम वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 की साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पी०डब्लू०-1 के द्वारा तहरीर में यह उल्लेख किया गया है कि उसका पुत्र गुलाब सिंह दिनांक 29.04.2022 को रात 9.30 बजे अभियुक्त सोबरन के दरवाजे के सामने से आ रहा था, तभी सोबरन व उसके लड़के प्रेमचन्द्र एवं कल्लू तथा अन्य लोगों ने उसके पुत्र गुलाब सिंह के साथ गाली गलौज की जिससे उसके लड़के ने मना किया तो लोहे की राड़ व डण्डे से मारपीट की तथा थाने में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसकी पत्नी श्यामबाई बीच बचाव करने लगी तो उसे भी मारा। फूल सिंह के मौके पर आने पर उसके साथ भी मारपीट की गयी, जिस कारण गुलाब सिंह, फूल सिंह, श्यामबाई के काफी चोटें आयी। श्यामबाई बेहोश हो गयी। इस प्रकार उक्त तहरीर में घटना अभियुक्तगण सोबरन के मकान के सामने से गुलाब सिंह के आते समय होने का उल्लेख किया गया है, जबकि पी०डब्लू०-*1* के द्वारा मुख्य परीक्षा में ही उक्त घटना क्रम के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि जब उसका पुत्र गुलाब सिंह अपने घर आ रहा था तभी अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू व चरन ने शराब के नशे में गाली गलौज की तथा मना करने पर घर के अन्दर घुसकर उसके लड़के के साथ लोहे की राट व डंडों से मारपीट की। उसकी पत्नी श्यामबाई, दूसरा पुत्र फूल सिंह व बहू साधना बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गयी, जिसमें उनके चोटें आई। इस घटना के बाद जब उसके पुत्रगण, बहू व पत्नी उसके पास दूसरे घर के लिये आ रहे थे तो रास्ते में तिराहे के पास उक्त अभियुक्तगण के द्वारा पुनः मारपीट करके अधमरा कर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर

दिया, जिसमें श्यामबाई के सिर में चोट आने के कारण वह बेहोश हो गयी तथा फूल सिंह का भी सिर फट गया, गुलाब का हाथ फट गया और उसकी बहू साधना को प्रेमचन्द्र ने दाँतों से काट लिया। झगड़े की आवाज सुनकर वह अपने दूसरे घर से आया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उसके बाद वह अपनी पत्नी, लड़के फूल सिंह गुलाब सिंह को लेकर थाने गया और वहाँ अज्ञात से तहरीर लिखाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। घायलों को इलाज के लिये सरकारी अस्पताल कुरारा ले गये, जहाँ से फूल सिंह व गुलाब सिंह को हमीरपुर के लिये रिफर कर दिया। उसकी पुत्रवधु साधना का दूसरे दिन सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण हुआ। इस प्रकार पी०डब्लू०-1 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में एक घटना अपने पहले वाले घर के अंदर की होने के संबंध में साक्ष्य दी है तथा दूसरी घटना तिराहे के पास होने के संबंध में साक्ष्य दी है। घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–8 पत्रावली में संलग्न है, जिसमें विवेचक के द्वारा वादी के पहले वाले घर तथा तिराहे को प्रदर्शित किया है। दोनों के मध्य केवल रामलखन व प्रकाश का मकान होना प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार दोनों घटना स्थल लगभग पास में ही हैं, इसलिये तहरीर में घटना स्थल का अलग अलग विवरण का उल्लेख न होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि साक्ष्य के दौरान पी०डब्लू० –1 के द्वारा दोनों घटनाओं से संबंधित तथ्य विकसित किये गये हैं, जबकि धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में भी इसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी से तहरीर के तथ्यों से सामना कराकर कोई भी जिरह नहीं की गयी है तथा तहरीर एवं साक्ष्य के कथनों में अन्तर स्पष्ट करने का भी अवसर नहीं दिया गया है, जबकि धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी साक्षी के पूर्ववर्ती कथन से विसंगत किसी तथ्य को साबित कराया जाना है तो उसको दिखाकर प्रतिपरीक्षा कराया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू०–1 से इस आशय में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। बेशक तहरीर में अभियुक्त चरन का नाम नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में चरन का नाम स्पष्ट रूप से बताया गया है। चरन का नाम तहरीर में न होने के संबंध में भी कोई जिरह पी०डब्लू० –1 से नहीं की गयी है।

22. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जिरह के दौरान पी०डब्लू० –1 के द्वारा यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि वह दोनों घटनाओं के समय मौके पर नहीं था तथा अपने दूसरे घर में था। वहाँ से भागकर आया था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू०–1 बेशक घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है, लेकिन पी०डब्लू०–2 व 3 का पिता है इसलिये घटना के बाद मौके पर आना स्वभाविक है तथा घटना के संबंध में जानकारी होना भी स्वभाविक है। घटना के तुरन्त बाद मौके पर आने के कारण घटना की जानकारी से जुड़े तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राहय होते हैं। जिरह के दौरान पी०डब्लू०–1 के द्वारा घटना उसके पहले मकान में एवं तिराहे पर होने का समर्थन किया गया है तथा घटना के समय उसकी पत्नी के मौके पर मिलने के बाद थाना कुरारा ले जाने तथा अज्ञात व्यक्ति से तहरीर लिखवा कर थाने में

दिये जाने से संबंधित तथ्यों की पुष्टि की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से यह भी सुझाव दिया गया है कि गुलाब सिंह, फूल सिंह तथा उसकी पत्नी के चोटें मोटरसाइकिल से गिरने के कारण आई है। इस प्रकार यह सुझाव देकर फूल सिंह, गुलाब सिंह तथा पी०डब्लू०–1 की पत्नी के चोटें आना अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार पी०डब्लू०–1 के द्वारा घटना से संबंधित तथ्यों को जिरह में भी साबित किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से जिरह में मुख्य रूप से आधार अभियुक्तगण चरन के द्वारा एस.सी.एस.टी. का मुकदमा दर्जा कराने की रंजिश होने का रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह सुस्थापित विधि है कि रंजिश होना एक दुधारी तलवार की तरह होता है। यह अभियुक्तगण को अपराध करने का मोटिव भी हो सकता है तथा अभियुक्तगण को मिथ्या फंसाये जाने का कारण भी हो सकता है, लेकिन प्रस्तुत मामले में घटना रात को 10.30 बजे की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी रात में समय 00.33 बजे दर्ज करायी गयी है, जिसकी प्रविष्टि कायमी जी० डी० प्रदर्श क–7 में की गयी है तथा इसमें वादी के साथ पी०डब्लू०–2 ता 4 के चोटिहल साथ थाना जाने का उल्लेख है। उनके चोटें आने के कारण मजरूबी चिट्ठी देकर सी.एच.सी. कुरारा रवाना किये जाने का भी उल्लेख है। इस प्रकार घटना के तुरन्त बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा साक्षीगण का घायल अवस्था में थाने जाने से अभियुक्तगण की मिथ्या संलिप्तता की संभावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार पी०डब्लू०–1 के द्वारा दी गयी साक्ष्य विश्वास किये जाने एवं निर्भर किये जाने योग्य है।

23. साक्षी पी०डब्लू०–2 गुलाब सिंह भी इस मामले में आहत साक्षी है। इस साक्षी ने भी घटना से समय घर आते समय अभियुक्तगण के द्वारा गाली गलौज करने, उसके मना करने पर उसके साथ उसके घर में घुसकर मारपीट करने, उसके भाई, माता एवं भाई की पत्नी के बचाने के लिये आने पर उनके साथ भी मारपीट करने, इस घटना के बाद पिता के पास दूसरे घर में जाने पर तिराहे के पास पुनः मारपीट करने तथा मारपीट करके चोटें आने तथा चोटों का परीक्षण कराने से संबंधित तथ्यों की पुष्टि की है। अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि इस साक्षी द्वारा तिराहे की जो घटना बतायी गयी है, उसमें अभियुक्त चरन का नाम नहीं है। इस तथ्य के संबंध में उल्लेखनीय है पी०डब्लू०–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रारम्भिक घटना में ही चरन के नाम का उल्लेख किया गया है इसलिये यदि तिराहे की घटना बताते समय चरन के नाम का उल्लेख नहीं आया है तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। पी०डब्लू०–2 से इस संबंध में भी जिरह की गयी है कि वह बाहर ड्राइवरी का कार्य करता है तथा घटना वाले दिन घर पर नहीं था। पी०डब्लू०–2 द्वारा ट्रक का क्लिनर होने के तथ्य को अवश्य स्वीकार किया गया है लेकिन यह भी कथन किया है कि घर में आवश्यकता पड़ने पर आता रहता है। घटना वाले दिन के विषय में पूछने पर इस साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि वह लिंटर डालने के लिये हमीरपुर आया था। शाम को 5.30 बजे लिंटर का कार्य पूरा करने के बाद वह 9.00 बजे वेन से बैठकर अपने गांव गया तथा 9.20 बजे अपने गांव के बस स्टैण्ड पर उतरा। इस कथन के आधार पर अभियुक्तगण के

द्वारा यह तर्क दिया गया है कि साक्षी के 9.00 बजे हमीरपुर से चलने के बाद 9.20 बजे गांव में पहुँचना संभव नहीं है, इसलिये 9.30 बजे की घटना विश्वसनीय होना साबित नहीं होती है। इस तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी के द्वारा जो समय बताया गया है वह अनुमान से बताया गया है इसलिये इस संबंध में दिया गया तर्क आधारहीन है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी से उसके आस पास के मकान वालों को घटना का साक्षी न बनाये जाने के संबंध में भी जिरह की गयी, जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आस पास के लोगों से रंजिश तथा अभियुक्तगण से नाराजगी के कारण साक्ष्य देने की आशा नहीं की जा सकती, इसलिये इस संबंध में की गयी जिरह का कोई अधिक महत्व नहीं है। जिरह के दौरान पी०डब्लू०–2 के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा घटना के बारे में नहीं पूछा था तथा उसे यह भी जानकारी नहीं कि एफ. आई. आर. में क्या लिखा है, लेकिन पी०डब्लू०–1 घटना के बाद मौके पर पहुँचे तथा आहत साक्षीगण को लेकर थाने भी गये, इसलिये यदि पी०डब्लू०–2 से घटना के विषय में न बताये जाने का कथन यदि किया भी गया है तो इससे यह साबित नहीं होता है कि पी०डब्लू०–1 को घटना की जानकारी न रही हो।

24. इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–2 के द्वारा जिरह में यह भी बताया गया है कि अभियुक्त सोबरन ने अपने दरवाजे के सामने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की। उसके बाद प्रेमचन्द्र व कल्लू ने उसके साथ मारपीट की। यह भी कहा है कि उसने विवेचक को अपने बयान में यह बताया था कि सोबरन दरवाजे से निकल कर अपने घर आ रहा था। यदि दरोगा ने उसके बयान में यह नहीं लिखा है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। इसके अतिरिक्त अभियुक्त प्रेमचन्द्र के द्वारा उसकी भाभी के बांये हाथ में कन्धे के नीचे काट लेने, उसके दाहिने हाथ की कोहनी में चोट आने तथा यह चोट प्रेमचन्द्र के द्वारा लोहे की राट से मारने के कारण आने, उसके कुल तीन चोटें आने, दूसरी चोट बांये पैर, तीसरी चोट पीठ पर आने, उसके घर में घुसकर मारपीट करने, प्रेमचन्द्र के हाथ में राड होने, बाकी के हाथ में लाठी डंडे होने, घटना के एक दिन बाद बयान देने, घटना के बाद घर से भागकर पिता के पास जाने, सभी लोगों के पिता के पास जाते समय अभियुक्तगण द्वारा तिराहे पर घेरकर उनके साथ मारपीट करने, घर के अन्दर एक–दो मिनट मारपीट करने, मारपीट के कारण पड़ोस के लोगों के आ जाने से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी से इस संबंध में भी प्रश्न पूछे गये है कि घर की उक्त घटना में किसने किसको कितने डंडे व राड मारी। क्योंकि उक्त घटना में अभियुक्तगण के द्वारा सभी लोगों को एक साथ मारपीट की गयी है इसलिये ऐसे में इस साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना में अभियुक्तगण के द्वारा मारे गये डंडों की संख्या की गिनती करे इसलिये इस संबंध में की गयी जिरह का कोई महत्व नहीं है। इस साक्षी की साक्ष्य की विश्वानीयता के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू०–2 की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–4 को पी०डब्लू०–6 द्वारा साबित किया गया है, जिसमें उसके तीन चोटें नीलगू निशान के रूप में आने का उल्लेख है। इस प्रकार की चोटें पी०डब्लू०–2 द्वारा अपने साक्ष्य में भी बतायी गयी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हमीरपुर

पी०डब्लू०–2 के घटना के बाद थाने जाने की पुष्टि कायमी जी० डी० से भी होती है। इस प्रकार घटना में आहत साक्षी होने के कारण पी०डब्लू०–2 के द्वारा दी गयी साक्षी विश्वास किये जाने योग्य है।

25. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 भी पी०डब्लू०–1 का पुत्र है, जिसको भी इस घटना में आहत होना बताया गया है, लेकिन इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू०–1 व 2 के कथनों के विपरीत यह कथन किया गया है कि पी०डब्लू०–2 के साथ मारपीट के समय वह अपने दूसरे घर पर था। मोहल्ले वालों के बताने पर वह पी०डब्लू०–2 के घर आया तथा रास्ते में आते समय उसके साथ मारपीट की गयी। उसी समय उसकी माता, पत्नी व पी०डब्लू०–2 के आने पर उनके साथ भी मारपीट की गयी। इसी घटना में स्वयं के सिर में चोट आने तथा अपने भाई, अपनी पत्नी तथा माता के भी चोट आने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पी०डब्लू० –2 के द्वारा उसके घर पर मारपीट होते समय पी०डब्लू०–3 के मौजूद होने का साक्ष्य दिया गया है, लेकिन पी०डब्लू०–3 ने अपने साथ घटना होने पर पी०डब्लू०–2 के आने का कथन किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बेशक साक्षीगण के द्वारा बताये गये घटना क्रम के संबंध में तथ्यों में उक्त अन्तर अवश्य है। लेकिन पी०डब्लू०–3 के भी चोट उक्त घटना में ही आई हैं। यदि साक्षी के द्वारा अपने साथ घटना होने के बाद अन्य के भी चोट आने का कथन किया गया है तो यह घटना क्रम को ठीक से याद न रखने के कारण उत्पन्न होना परीलक्षित होता है। पी०डब्लू०–3 के सिर में चोट आने की पुष्टि पी०डब्लू०–1 व 2 के द्वारा भी की गयी है। घायल अवस्था में थाने जाने की पुष्टि जी० डी० प्रदर्श क–7 से भी होती है। पी०डब्लू०–3 की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–2 में उसकी चोट सं०–1 सिर पर फटे हुए घाव के रूप में आने तथा शेष चोटे नीलगू निशान होने का उल्लेख है। इस साक्षी का परीक्षण भी घटना के अगले दिन 9.45 बजे हुआ है। इसलिये घटना में आहत साक्षी होने तथा मौके पर उसकी उपस्थिति साबित होने के कारण उसके द्वारा बताया गया घटना क्रम के विसंगत होने के बावजूद भी उसके समस्त साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **मकसूदन बनाम उ०प्र० राज्य 983(1) SCC 218** में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि घटना स्थल पर आहत साक्षी की उपस्थिति साबित है तो साक्ष्य के दौरान बताया गया विसंगत तथ्यों का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन मामले पर नहीं रह जाता है और न ही उसके आधार पर साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जिरह के दौरान भी इस साक्षी पी०डब्लू० 3 से रंजिश के आधार पर अभियुक्तगण को नामजद किये जाने, घटना के समय उसके घर पर न होने से संबंधित तथ्यों में जिरह की गयी, जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त चरन के द्वारा एस.सी. एस.टी. एक्ट का मुकदमा लिखाये जाने के विषय में जानकारी होने से इस साक्षी ने इंकार किया है तथा घटना के समय छोटी गाड़ी ओमनी चलाने को अवश्य स्वीकार किया गया है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि घटना के दिन वह

घर पर ही था। घटना के समय तिराहे पर अभियुक्त प्रेमचन्द्र के द्वारा लोहे की राठ, सोबरन तथा अन्य के द्वारा डंडे से मारपीट किये जाने तथा मारपीट में सिर में चोट आने से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। इस प्रकार साक्षी के घटना स्थल पर चोट आने तथा घटना स्थल पर मौजूद होने के तथ्य साबित होने के कारण अन्य विसंगतियों का कोई अधिक महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार आहत साक्षी के रूप में पी०डब्लू० -3 का साक्ष्य भी विश्वास किये जाने तथा निर्भर किये जाने योग्य है।

26. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 साधना, पी०डब्लू०-3 की पत्नी है। उक्त घटना में इसके भी अभियुक्त प्रेमचन्द्र के द्वारा उसकी भुजा पर काट कर चोट कारित करने का कथन किया है। पी०डब्लू०-4 के द्वारा भी अपने साक्ष्य में अपने पति के अलावा पी०डब्लू०-2 व 5 के भी चोट आने से संबंधित साक्ष्य दिया गया है तथा यह उल्लेख किया गया है कि घर अन्य किसी के न होने के कारण वह घटना के बाद थाने नहीं जा सकी थी। दूसरे दिन विवेचक के द्वारा उसका बयान लिये जाने का भी कथन किया गया है। जिरह के दौरान इस साक्षी से उसके ससुराल के सदस्यों के रोजगार करने, पी०डब्लू०-2 के मजदूरी करने, परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछा गया, जिसके संबंध में साक्षी ने तथ्यों को बताया गया है तथा उसके ससुर के विरुद्ध अभियुक्त चरन के द्वारा एस. सी. एस. टी. का मुकदमा दर्ज करने की जानकारी होने के संबंध में इंकार किया है। चूँकि इस साक्षी को इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियुक्त चरन के द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में अभियुक्त है या नही। इसलिये उक्त मुकदमे की जानकारी न होने का जो कथन किया गया है, को असत्य नहीं माना जा सकता है। परिवार के सदस्यों का जो विवरण बताया गया है, उसके भी कोई प्रतिकूल तथ्य साबित नहीं कराये गये हैं। घटना के बाद अगले दिन उसके अलावा उसके पति, ससुर व देवर के बयान भी विवेचक के द्वारा लिये जाने की भी पुष्टि की गयी है। दरोगा के साथ तिराहे पर जाने, झगड़ा होने वाले घर में दो दरवाजे होने, धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ मारपीट करने तथा प्रेमचन्द्र के द्वारा दांत से काटने के विषय से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। साथ में यह भी कथन किया गया है कि यह बात सही है कि मुल्जिमान ने घर के अन्दर उसके साथ, उसके पति फूल सिंह, सास श्यामबाई से मारपीट नहीं की है, बल्कि देवर के साथ मारपीट हुई थी। देवर को सोबरन, कल्लू व चरन ने मारापीटा था। घर के अन्दर घुसकर मारपीट की थी। मारपीट के बाद देवर के बेहोश होने, मुँह पर पानी डालने से उसके होश में आने, ससुर के पास दूसरे घर में जाने के समय मारपीट होने, दूसरा घटना स्थल तिराहा घर से दो घर के बाद होने, तिराहे पर प्रेमचन्द्र ने सबसे पहले श्यामबाई के सिर पर चोट कारित करने, सब लोगों के इकटठा होने के कारण यह न देख पाने कि कौन किसको मार रहा है, से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। मारपीट में उसके पति का सिर फूट जाने, श्यामबाई के सिर पर भी चोट आने, अपने शरीर में चार चोटें आने, हाथ में प्रेमचन्द्र के काटने से चोट आने से संबंधित तथ्यों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार पी०डब्लू०-4 की साक्ष्य से यह साबित होता है कि साक्षी के द्वारा जिरह में बताये गये

तथ्यों में केवल इतना अन्तर है कि इसके द्वारा घर के अन्दर की घटना में केवल अपने देवर गुलाब सिंह के चोट आने का कथन किया गया है, शेष लोगों के चोटें तिराहे पर आने का कथन किया गया है। उक्त विसंगति के बावजूद भी यह तथ्य साबित है कि यह साक्षी उक्त घटना में आहत साक्षी है। परिवार की बहू होने के कारण घटना में समय मौजूद होना स्वभाविक है। रात में घटना होने के बाद घर के सदस्यों का थाने जाने के कारण उसका घर पर रूकना भी स्वभाविक है। इस प्रकार घटना के समय मौजूद होने तथा घटना में चोट आने के कारण साक्षी के द्वारा बतायी गयी विसंगति भी साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार करने का केवल एकमात्र पर्याप्त कारण नहीं है। इस प्रकार घटना में आहत साक्षी होने के कारण पी०डब्लू०-4 की साक्ष्य विश्वास किये जाने एवं निर्भर किये जाने योग्य है।

27. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 श्यामबाई को भी इस घटना में आहत साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उसके पुत्र गुलाब के मजदूरी से घर आने के समय अभियुक्तगण के द्वारा गाली गलौज करने तथा घर में घुसकर मारपीट करने, उसके अलावा उसकी पुत्र वधु साधना व पुत्र फूल सिंह के साथ भी मारपीट करने, पति के पास दूसरे घर जाने में जाने के समय तिराहे पर घेर कर पुनः मारपीट करके चोटें कारित करने से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। यह भी बताया है कि चोटों के कारण वह बेहोश हो गयी थी। सरकारी अस्पताल कुरारा में उसे होश आया था। उस समय उसको उल्टी आ रही थी इसलिये उसका इलाज एक सप्ताह तक चला। इस साक्षी से जिरह के दौरान अभियुक्तगण की ओर से उसके पति तथा पति के भाई के परिवार के संबंध में प्रश्न पूछे जिसके संबंध में साक्षी के द्वारा परिवार के सदस्यों का विवरण बताया गया है। हरिजन एक्ट का मुकदमा उसके पति व पति के भाइयों के विरुद्ध चलने को स्वीकार किया गया है। इस सुझाव से इंकार किया गया है कि अभियुक्त चरन सिंह के द्वारा मुकदमा लिखाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से पत्रावली पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराये गये विशेष वाद से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र की प्रतिलिपि को दाखिल किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त चरन के द्वारा करन, बृजलाल एवं रोशन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का कोई अधिक विवाद नहीं रह जाता है, केवल चरन के द्वारा मुकदमा लिखाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इस मामले की घटना घटित न हुई हो तथा मेडिकल रिपोर्ट भी मिथ्या हो। इसलिये इस संबंध में की गयी जिरह का कोई अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

28. इस साक्षी के द्वारा जिरह में यह भी बताया गया है कि जब अभियुक्तगण उसके घर आये तब वह घर के अन्दर थी। घर का दरवाजा खुला था। उसकी पुत्र वधू साधना व फूल सिंह भी था। फूलसिंह हाथ पैर धो रहा था। वह एवं साधना खाना बना रहे थे। मुल्जिमान लोहे की राड व लाठी डंडे लेकर आये थे। गुलाब व मुल्जिमान की मुलाकात उसके दरवाजे पर हुई थी। गाली गलौज की आवाज सुनकर वह बाहर आ ही रही थी कि गुलाब अन्दर आ गया। इस साक्षी के द्वारा उक्त कथन विवेचक को धारा

161 द०प्र०सं० में ना बताये जाने के संबंध में भी प्रश्न किया गया, लेकिन उक्त तथ्य साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने के दौरान बताये गये हैं, जो कि उसके पूर्ववर्ती अभिकथनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में इसका विवारण अंकित न होने से कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त साक्षी ने घर के अन्दर बरामदे में गुलाब सिंह के साथ मारपीट करने , मारपीट के दौरान शोर होने से संबंधित तथ्यों का भी उल्लेख किया है। इस साक्षी से गुलाब के लगे डंडों की संख्या भी पूछी गयी। डंडों की संख्या गिनने की अपेक्षा इस साक्षी से नहीं की जा सकती है। इसलिये इस साक्षी के द्वारा इस संबंध में की गयी जिरह में कोई अधिक महत्व नहीं है। जिरह में यह भी साबित किया गया है कि पति के दूसरे घर में जाने के समय मुल्जिमान ने तिराहे पर मारपीट की थी। उस समय सड़क पर लाइट जल रही थी। मारपीट में उसके सिर में चोट आई थी तथा वह बेहोश हो गयी थी। उसके सरकारी अस्पताल कुरारा ले गये थे, जहाँ उसे होश आया था। अस्पताल में गुलाब सिंह व फूल सिंह भी थे। इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना में बेहोश न हुई हो और उसके कोई चोट न आई हो। इस आशय का भी सुझाव दिया है कि दिनांक 30.04.2022 को समय 10.35 बजे उसकी डाक्टरी हुई है तथा चार बजे वह अस्पताल में न गयी हो। उक्त सुझाव के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी निरक्षर एवं ग्रामीण परिवेश की महिला है। इसलिए उससे सटीकता के साथ समय बताये जाने की आशा नही की जा सकती है। इसलिए समय की विसंगित निर्णायक होना साबित नही होती है। पी०डब्लू०-5 की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-3 पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें उसके चोट सं०-1 सिर पर फटे हुए घाव के रूप में आने का उल्लेख है। परीक्षण के समय चोट से खून के बहने का भी उल्लेख है। इस प्रकार घटना में आहत साक्षी होने के कारण पी०डब्लू०-5 की साक्ष्य भी विश्वास किये जाने तथा निर्भर किये जाने योग्य है। घटना क्रम के संबंध में बताये गये कथित विसंगत तथ्य तात्विक नहीं हैं, उससे साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य प्रभावित नहीं होती है।

29. साक्षी पी०डब्लू०-6 के द्वारा घटना में मजरूब साक्षियों की चोटो का परीक्षण किये जाने तथा पत्रावली पर दाखिल मेडिकल रिपोर्ट को साबित किये जाने के संबंध में साक्ष्य दी गयी है। जिरह के दौरान भी मजरूब साक्षियों की चोटों का विवरण साक्षी द्वारा बताया गया है। इस साक्षी के द्वारा यह स्वीकार अवश्यक किया गया है कि मजरूब के चोटें साधारण प्रकृति की थी, प्राणघातक नहीं थीं। यह भी उल्लेख किया गया है कि मोटरसाइकिल से गिरने से चोटें आ सकती हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से गिरने की कोई परिस्थिति अभियुक्तगण की ओर से साबित नहीं करायी गयी है। इसलिये इस संबंध में दिये गये सुझाव का कोई अधिक महत्व नहीं है। अतः मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-2 ता 5 को साबित करने के संबंध में इस साक्षी के द्वारा दी गयी साक्ष्य विश्वास किये जाने एवं निर्भर किये जाने योग्य है।

30. साक्षी पी०डब्लू०-7 के द्वारा वादी पी०डब्लू०-1 की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने तथा घटना में मजरूब श्यामबाई, गुलाब सिंह व फूल सिंह को

उपचार के लिये सी. एच. सी. कुरारा के लिये रवाना किये जाने का कथन करते हुए चुक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जी०डी० की प्रतिलिपि को साबित किया गया है। जिरह के दौरान भी इन तथ्यों की पुष्टि की है कि वादी की तहरीर के आधार पर समय 00.33 बजे चिक किता की गयी थी। यह भी बताया है कि वादी बृजलाल के साथ उसकी पत्नी व दोनों बेटे आये थे तथा घायलों को मजरूब चिट्ठी देकर थाने से रवाना किया था। यद्यपि पत्रावली पर मजरूब चिट्ठी संल्गन न होना साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ही मेडिकल के लिये ले जाने वाले कां० अनूप कुमार का उल्लेख है इसलिये यदि मजरूबी चिट्ठी तैयार नहीं भी की गयी है तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इस प्रकार उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने व उसकी प्रविष्टि जी० डी० में किये जाने के संबंध में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वास किये जाने तथा निर्भर किये जाने योग्य है।

31. साक्षी पी०डब्लू०-8 के द्वारा इस मामले की विवेचना की गयी है। मुख्य परीक्षा में विवेचना से संबंधित तथ्यों के संबंध में साक्ष्य दी है। जिरह के दौरान यह साबित किया गया है कि उसने दिनांक 30.04.2022 को घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्सा नजरी तैयार किया है। गुलाब सिंह की निशांदेही पर नक्शा नजरी बनाया था। यह भी बताया है कि घटना स्थल के आस पास के लोग भलाई बुराई के कारण गवाही के लिये तैयार नहीं हुए। यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त चरन की ओर से दर्ज कराये गये मु०अ०सं०-258/2021 के संबंध में विवेचना के दौरान कोई जानकारी नहीं की। यह पूछा गया कि घर के अन्दर मारपीट का समय इस साक्षी के द्वारा विवेचना में अंकित नहीं किया गया है। मजरूब के बयानों में तिराहे पर पहुँचने का समय अंकित नहीं किया है। कौन मुल्जिम कहाँ से मार रहा था, कितनी दूर से मार रहा था, किस दिशा से मार रहा था, यह उसने नक्शा नजरी में अंकित नहीं किया है। इस प्रकार इस साक्षी से पूछे गये उक्त तथ्य मामले के सुक्ष्म विवरण से संबंधित हैं, जिनको घटना में मजरूब साक्षियों के द्वारा याद रखकर विवेचक को बताने की आशा नहीं की जा सकती है और न ही ऐसे सुक्ष्म विवरण की कोई आवश्यकता प्रस्तुत मामले में है इसलिये इस संबंध में की गयी जिरह का कोई अधिक महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि मजरूब श्यामबाई का बयान दिनांक 08.06.2022 को लिया था। इसके पहले कुरारा अस्पताल व हमीरपुर अस्पताल में इलाज चला था। इस साक्षी को यह भी सुझाव दिया गया है कि फूल सिंह, गुलाब सिंह मोटरसाइकिल से मजरूब श्यामबाई को कुरारा अस्पताल ले गये थे, वहाँ से लोटते समय मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गया, जिससे तीनों घायल हो गये। घायल अवस्था में इनके परिवारीजन इनको घर लाये थे तथा रंजिशन रिपोर्ट लिखा दी। थाने की पुलिस द्वारा कुरारा अस्पताल ले जाकर दाखिल कराया गया और मारपीट की झूंठी रिपोर्ट दर्ज की गयी। इस प्रकार उक्त सुझाव देकर अभियुक्तगण की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि फूल सिंह, गुलाब सिंह व श्यामबाई के चोटें आने के कारण श्यामबाई का इलाज अस्पताल में हुआ। चूँकि मोटरसाइकिल से गिरने का कोई तथ्य साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में

मोटरसाइकिल से गिरने से चोटें आने के संबंध में दिये गये सुझाव केवल काल्पना पर आधारित होना साबित होते हैं। अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति से साक्षीगण के चोटें आने के तथ्य की भी पुष्टि होती है इसलिये विवेचना के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित किये गये आरोप पत्र के संबंध में इस साक्षी द्वारा दी गयी साक्ष्य विश्वास किये जाने एवं निर्भर किये जाने योग्य है।

32. अतः अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू० 1 तथा पी०डब्लू० 5 की साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उनमें से पी०डब्लू० 1 के द्वारा तहरीर में अभियुक्त चरन सिंह का विशिष्ट रूप से नाम अंकित नही किया गया तथा घटना भी गुलाब के रास्ते पर आने के समय होने का उल्लेख किया गया। लेकिन धारा 161 द०प्र०स० के बयान तथा न्यायालय में दिये गये बयान में अभियुक्त चरन के नाम तथा पहली घटना घर में होने तथा दूसरी घटना तिराहे पर होने का स्पष्ट रूप से कथन किया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है साक्षी के द्वारा तहरीर घटना के तुरन्त दी गयी, परिवार के चार सदस्य के घायल होने तथा पत्नी के भी सिर में चोट होने के कारण तहरीर में कुछ आवश्यक तथ्यो को ना लिखा पाना स्वभाविक है। इसलिए उक्त तथ्य तहरीर में लोपित तथ्य (Ommission) होने के कारण विसंगत तथ्य के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू० 1 के द्वारा प्रथम घटना पहले मकान में होने का साक्ष्य दिया है तथा अपने साथ पी०डब्लू० 2 ता पी०डब्लू० 5 के साथ भी मारपीट करने का कथन किया है। जबकि पी०डब्लू० 3 के द्वारा दूसरे घर से आने के समय रास्ते में अपने साथ मारपीट करने पर पी०डब्लू० 1 के आने पर मारपीट करने का कथन किया गया है। पी०डब्लू० 4 के द्वारा भी पहले घर की घटना में केवल पी०डब्लू० 1 को चोटे आने का कथन किया गया है। पी०डब्लू० 5 के द्वारा भी घर के अंदर गुलाब के साथ मारपीट होने का कथन जिरह में किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से उक्त असंगत तथ्यो के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य के विश्वसनीय ना होने के संबंध में तर्क भी दिया गया है। इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय **बालू सुदाम खालदे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. आनलाइन 2023 एस.सी. 229** में यह मत व्यक्त किया गया है साक्षी में अपने अनुसार तथ्यों को बताने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे में साक्षीगण की साक्ष्य में असंगता उत्पन्न स्वभाविक है, लेकिन मात्र ऐसी असंगता के आधार पर अभियोजन मामले को असत्य नही माना जा सकता है। प्रस्तुत मामले में उक्त साक्षीगण आहत साक्षी है। मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **उ०प्र० राज्य बनाम नरेश (2011) 4 एस.सी.सी. 324** तथा **अशोक कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य (2022) 20 एस.सी.सी. 114** में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक मामले में आहत साक्षी को सर्वोत्तम साक्षी माना जाता है, जब तक उसकी साक्ष्य में तात्विक अन्तर एवं विरोधाभाष न हो। उसको अविश्वसनीय नहीं माना जाता है। इसलिए उक्त साक्षीगण के भी आहत साक्षी होने के कारण उनकी साक्ष्य पर अविश्वास करने को कोई कारण नही है। साथ ही उनके चोटे आने की पुष्टि मेड़ीकल रिपोर्ट से होती है तथा घायल अवस्था में जाने की प्रविष्टि थाना की जी०ड़ी० में भी है, इनसे भी अभियुक्तगण

के द्वारा चोटो कारित करने के संबंध में दी गयी साक्ष्य की सम्पुष्टि होती है। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने सफल रहा है।

33. जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 323/34, 324/34, 308/34, 504, 506 भा०द०सं० के आरोप लगाये गये हैं तो अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य में यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा प्रारम्भिक घटना मजरूब गुलाब सिंह के साथ उसके घर में घुसकर कारित की गयी। घटना के समय अभियुक्तगण लोहे की राड व लाठी डंडे लिये हुए थे। इस प्रकार उक्त लाठी डंडे व राड से सुसज्जित होकर अभियोजन साक्षीगण के साथ अपराध कारित करने के आशय से गृह अतिचार करने के कारण धारा 452 भा०द०सं० का आरोप साबित होता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों के साधारण प्रकृति की चोट भी आयी है, जिससे धारा 323/34 भा०द०सं० का अपराध भी साबित होता है। घटना के समय प्रेमचन्द्र के द्वारा राड का प्रयोग करके चोटें कारित करने के तथ्य को भी साबित किया गया है, जिस कारण धारा 324/34 भा०द०सं० का अपराध भी साबित होता है। उक्त घटना में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-3 फूल सिंह के मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-2 में चोट सं०-1 उसके सिर के पैराइटल पार्ट पर 6x1.2cm फटा हुआ घाव पाये जाने का उल्लेख है तथा पी०डब्लू०-5 श्यामबाई के चोट सं०-1 सिर के फ्रैन्टो पैराइटल पार्ट पर 4x0.7x1.2cm घाव पाये जाने को साबित किया गया है। उक्त चोट अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-3 व 5 के सिर पर होने के कारण संवेदनशील प्रकृति की होना साबित होता है। यदि उक्च चोट के कारण सिर के अन्दर रक्तस्राव हो जाता तो उससे अभियोजन साक्षियों की मृत्यु कारित हो सकती थी। पी०डब्लू०-5 के द्वारा अपने साक्ष्य में घटना के बाद बेहोश होने को भी साबित किया गया है। चूँकि विवेचक के द्वारा उसका बयान घटना के कोई दिन बाद में अंकित किया गया है, जिससे घटना के बाद पी०डब्लू०-5 के बेहोश होने की पुष्टि होती है। अभियुक्तगण की ओर से भी पी०डब्लू०-5 का इलाज अस्पताल में होने के तथ्य की स्वीकारोक्ति की गयी है। बेशक डाक्टर के द्वारा चोटों को उनकी बाहरी परीक्षण के आधार पर सामान्य प्रकृति का बताया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट में भी कोई फ्रैक्चर होना नहीं पाया गया है, लेकिन धारा 308 के अपराध के लिये गंभीर चोट कारित होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आरोपी के अपराध करने का आशय भी आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के द्वारा जिस प्रकार से साक्षीगण के सिर पर प्रहार किया गया है इससे उनका यह आशय साबित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा साक्षी पी०डब्लू०-3 व 5 को इस आशय से चोट कारित की गयी है कि सिर में आन्तरिक एवं बाह्य रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो जाये। इस प्रकार अभियुक्तगण के आशय को देखते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308/34 भा०द०सं० का भी अपराध साबित होता है। साक्षीगण के द्वारा घटना के समय गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के तथ्य भी साबित किया गये हैं इसलिये अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504, 506 भा०द०सं० का भी अपराध

साबित होता है। चूँकि घटना के समय अभियुक्तगण एक साथ मौजूद थे तथा डंडे एवं राड से सुज्ञित थे। उनके द्वारा अभियोजन साक्षी को घेरकर उनके साथ घटना कारित की गयी है, जिससे उनका सामान्य आशय भी साबित होता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला के विरुद्ध धारा 452, 308/34, 323/34, 324/34, 504, 506 भा०द०सं० का अपराध संदेह से परे साबित होता है इसलिये अभियुक्तगण, उक्त अपराध में दोष सिद्ध किये जाने योग्य हैं।

34. अतः उपरोक्त अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला के विरुद्ध धारा 452, 308/34, 323/34, 324/34, 504, 506 भा०द०सं० का आरोप साबित होने के कारण उनको उक्त धाराओं के अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। सजा पर सुनवाई के लिये अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये। उसके उपरान्त उनके जमानतनामे निरस्त किये जाये तथा जामींदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाये। अभियुक्तगण को सजा पर दोपहर बाद सुना जायेगा।

दिनांक–04.07.2025

(प्रहलाद सिंह–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश –प्रथम,
हमीरपुर।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हमीरपुर

दण्डादेश

क्रमशः-

04.07.2025

35. पत्रावली सजा पर सुनवाई के लिए पेश हुई। अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला अभिरक्षा में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को धारा 452, 308/34, 323/34, 324/34, 504, 506 भा०द०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा अभियोजन साक्षीगण के सिर पर वार करके चोटे कारित की गयी हैं, इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए परीविक्षा का लाभ दिये जाने का आधार पर्याप्त नही है। अतः सजा के बिन्दु पर विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

36. विद्वान शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण के द्वारा आहत साक्षीगण को गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने के आशय से उनके ऊपर लोहे की राड व लाठी डंडों से प्रहार करके चोटें पहुँचायी तथा जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया है इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को कठोर कारावास से दण्डित किया जाय।

37. अभियुक्तगण की ओर से उनका प्रथम अपराध होने के कारण उनके प्रति उदारता बरते जाने के संबंध में तर्क दिया गया है।

38. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण सोबरन, प्रेमचन्द्र, कल्लू उर्फ प्रताप सिंह एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला को धारा 452, 308/34, 323/34, 324/34, 504, 506 भा०द०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्तगण के उक्त कृत्य को देखते हुए प्रावधानित दण्ड़ में से प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 452 भा०द०स० में 04 (चार) वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 5,000 / रूपये (पाँच हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा ना करने पर 01 (एक) माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323/34 भा०द०स० में 06 (छः) माह के सश्रम कारावास, धारा 324/34 भा०द०स० में 02 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 308/34 भा०द०स० में 05 (पाँच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 10,000 / रूपये (दस हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा ना करने पर 03 (तीन) माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 में 06(छः) माह के सश्रम कारावास एवं धारा 506 में 01(एक) वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाना उचित है।

आदेश

(i) अतः सत्र परीक्षण संख्या 479/2022 (मु०अ०सं०-125/2022) थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में अभियुक्तगण सोबरन पुत्र बालकिशुन एवं प्रेमचन्द्र पुत्र सोबरन निवासीगण ग्राम झलोखर, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर, उ०प्र० तथा सत्र परीक्षण संख्या 646/2022 (मु०अ०सं०-125/2022) थाना कुरारा, जिला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर

हमीरपुर में अभियुक्तगण कल्लू उर्फ प्रताप सिंह पुत्र सोबरन एवं चरन सिंह उर्फ बुल्ला पुत्र सोबरन सिंह निवासीगण ग्राम झलोखर, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर, उ०प्र० (प्रत्येक अभियुक्तगण) को धारा 452 भा०द०स० में 04 (चार) वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 5,000 / रूपये (पाँच हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा ना करने पर 01 (एक) माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323/34 भा०द०स० में 06 (छः) माह के सश्रम कारावास, धारा 324/34 भा०द०स० में 02 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 308/34 भा०द०स० में 05 (पाँच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 10,000 / रूपये (दस हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा ना करने पर 03 (तीन) माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 में 06(छः) माह के सश्रम कारावास एवं धारा 506 में 01(एक) वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ii) अभियुक्तगण की सभी मौलिक सजाए साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण का सजायफता वारंट बनाकर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

(iii) अभियुक्तगण के द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

(iv) अभियुक्तगण को निर्णय व आदेश की प्रतिलिपि निःशुल्क अपील करने के लिए उपलब्ध करायी जाये।

(v) इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सत्र परीक्षण संख्या 646/2022 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक-04.07.2025

(प्रहलाद सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -प्रथम,
हमीरपुर।

उक्त दण्ड़ादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-04.07.2025

(प्रहलाद सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -प्रथम,
हमीरपुर।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हमीरपुर